दैनिक नवज्योति
chittorgarh-pratapgarh - 23 Apr 2025 - Page 6

चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाना लोकतंत्र का अपमान

निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज

नवज्योति ब्यूरो प्रतापगढ़। भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर स्पष्ट और तथ्यों पर आधारित जानकारी साझा की है। आयोग ने चुनाव में गड़बड़ी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा है कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप न केवल भ्रामक और निराधार हैं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के शासन के प्रति अपमानजनक है। आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 6.40 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया। औसतन प्रति घंटे लगभग 58 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अंतिम दो घंटों में लगभग 65 लाख मतदाताओं द्वारा मतदान किया गया, जो सामान्य औसत से भी कम है। ऐसे में, अचानक मतदान वृद्धि का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। मतदान प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर राजनीतिक दलों के अधिकृत एजेंट उपस्थित थे, जिनके समक्ष ही पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। किसी भी पार्टी, यहां तक कि कांग्रेस द्वारा भी रिटर्निंग अधिकारियों अथवा निर्वाचन पर्यवेक्षकों को मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी की कोई ठोस शिकायत नहीं दी गई। मतदाता सूचियां जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचकों के पंजीकरण नियम, 1960 के अनुसार विधिसम्मत ढंग से तैयार की गईं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के उपरांत इन सूचियों की अंतिम प्रति सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, को समय पर प्रदान की गई थी। चुनाव से पूर्व अथवा बाद में मतदाता सूचियों को लेकर आपत्तियों की संख्या अत्यंत सीमित रही। 9.77 करोड़ मतदाताओं के बीच केवल 89 अपीलें जिला मजिस्ट्रेट स्तर पर और एक अपील राज्य स्तर पर प्रस्तुत की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नामावली को लेकर किसी दल को चुनाव पूर्व कोई आपत्ति नहीं थी।

ईवीएम वेयरहाउस की सुरक्षा पर 30 अप्रैल तक रिपोर्ट दें

बूंदी| भारत निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों में ईवीएम वेयरहाउस की सुरक्षा और रखरखाव व्यवस्था को लेकर सख्ती बरती है। आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने जयपुर स्थित ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के बाद राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयोग के तय मानकों के अनुसार वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था की जाए। सभी डीईओ को 30 अप्रैल तक निरीक्षण कर रिपोर्ट देनी होगी। आयोग के मानकों के अनुसार, ईवीएम वेयरहाउस में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निरीक्षण जरूरी है।

जिला निर्वाचन अधिकारी को मासिक और त्रैमासिक निरीक्षण स्वयं करना होगा। वेयरहाउस के गेट पर लगे ताले और सील की जांच की जानी चाहिए। सीसीटीवी कैमरे ठीक से काम करें और उनकी फुटेज पुलिस गार्डरूम में उपलब्ध होनी चाहिए। अग्निशमन यंत्रों की समय पर जांच और रखरखाव जरूरी है।

चुनाव आयोग बोला, कानून के शासन का अपमान

'महाराष्ट्र चुनाव पर राहुल के आरोप बिल्कुल बेतुके'

नई दिल्ली @ पत्रिका. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमरीका यात्रा के दौरान चुनाव आयोग को 'समझौतावादी' कहने के बाद मंगलवार को चुनाव आयोग ने कहा कि जनता का फैसला पक्ष में न आने के बाद चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश करना 'बिल्कुल बेतुका' है। मतदाता सूची को लेकर 'निराधार' आरोप 'कानून के शासन का अपमान' है। कोई भी गलत सूचना, वह चाहे कोई भी फैला रहा हो, 'न केवल कानून के प्रति अनादर का संकेत है, बल्कि पार्टी के प्रतिनिधियों के लिए अपमानजनक है', और उन लाखों चुनाव कर्मचारियों को 'हताश' करने वाली भी है जो चुनावों के दौरान बिना थके और पारदर्शी तरीके से काम करते हैं।

'प्रति घंटे 58 लाख वोट डाले गए...'

राहुल के इस आरोप का जिक्र करते हुए कि शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच 65 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और ऐसा होना 'शारीरिक रूप से असंभव' है, अधिकारियों ने कहा कि मतदान केंद्रों पर पहुंचे 6.4 करोड़ लोगों ने मतदान किया और औसतन प्रति घंटे लगभग 58 लाख वोट डाले गए। अगले दिन भी जांच के समय कोई 'पुष्ट' आरोप नहीं लगाया गया।

चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाना लोकतंत्र का अपमान

निर्वाचन आयोग ने तथ्यपरक जवाब में कहा - पारदर्शिता और निष्पक्षता से हुई पूरी प्रक्रिया

निर्वाचन आयोग ने एक राजनीतिक दल के आरोपों को किया खारिज

नई दिल्ली (शुभ लहर तरंग नेटवर्क)। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए आरोपों पर स्पष्ट और तथ्यों पर आधारित जानकारी साझा की है। आयोग ने चुनाव में गड़बड़ी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए आरोप न केवल भ्रामक और निराधार हैं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के शासन के प्रति अपमानजनक हैं।आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 6.40 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया। औसतन प्रति घंटे लगभग 58 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अंतिम दो घंटों में लगभग 65 लाख मतदाताओं द्वारा मतदान किया गया, जो सामान्य औसत से भी कम है। ऐसे में, %अचानक मतदान वृद्धि% का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है।

मतदान प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर राजनीतिक दलों के अधिकृत एजेंट उपस्थित थे, जिनके समक्ष ही पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। किसी भी पार्टी, यहां तक कि कांग्रेस द्वारा भी रिटर्निंग अधिकारियों अथवा निर्वाचन पर्यवेक्षकों को मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी की कोई ठोस शिकायत नहीं दी गई।

मतदाता सूचियां जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचकों के पंजीकरण नियम, 1960 के अनुसार विधिसम्मत ढंग से तैयार की गईं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के उपरांत इन सूचियों की अंतिम प्रति सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को समय पर प्रदान की गई थी। चुनाव से पूर्व अथवा बाद में मतदाता सूचियों को लेकर आपत्तियों की संख्या अत्यंत सीमित रही। 9.77 करोड़ मतदाताओं के बीच केवल 89 अपीलें जिला मजिस्ट्रेट स्तर पर और एक अपील राज्य स्तर पर प्रस्तुत की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नामावली को लेकर किसी दल को चुनाव पूर्व कोई आपत्ति नहीं थी। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निर्वाचन अधिकारियों द्वारा नियुक्त 97,000 से अधिक बूथ स्तर अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भी 1.03 लाख से अधिक बूथ स्तर एजेंट नियोजित किए गए। इनमें से 27,099 एजेंट स्वयं आरोप लगाने वाले राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त किए गए थे, जो आयोग की पारदर्शिता का प्रमाण हैं।आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि 24 दिसम्बर, 2024 को राजनीतिक दल को इस संबंध में विस्तृत उत्तर भेजा गया था, जिसे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी सार्वजनिक किया गया है।

इसके बावजूद बार-बार उन्हीं आरोपों को दोहराना लोकतंत्र और संस्थागत गरिमा के विरुद्ध है। भारत निर्वाचन आयोग ने जोर देकर कहा कि देश में चुनाव प्रक्रिया - मतदाता सूचियां तैयार करने से लेकर मतदान और मतगणना तक - पूर्ण कानूनी प्रक्रिया और पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष रूप से संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में लाखों सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और स्वतंत्र पर्यवेक्षक शामिल होते हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि चुनाव परिणामों को लेकर यदि किसी पार्टी को जनता की असहमति का सामना करना पड़ता है, तो आयोग को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना न केवल अनुचित है, बल्कि लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास है। ऐसे प्रयास उन लाखों कर्मचारियों की निष्ठा और निष्पक्षता पर भी प्रश्नचिन्ह लगाते हैं, जो पूरे समर्पण के साथ लोकतंत्र को सशक्त बनाने में जुटे हैं।

PUNJAB KESARI
पंजाब केसरी
जयपुर • बुधवार • 23 अप्रैल, 2025

देश से अमेरिका तक चुनाव प्रणाली पर उठे सवालों के आयोग ने दिए जवाब

जयपुर, 22 अप्रैल (विसं) : महाराष्ट्र-हरियाणा विधानसभा चुनाव से ही कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। वहीं अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी ने भी इस मामले में सवाल उठाते हुए आयोग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इसके जवाब में भारत निर्वाचन आयोग ने बिंदुवार प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि भारत में सभी चुनाव विधिसम्मत तरीके से आयोजित होते हैं। भारत में चुनावों का पैमाना और सटीकता पूरी दुनिया में प्रशंसित है।

आयोग ने एक बयान जारी कर बताया कि देश जानता है कि नामावली तैयार करने से लेकर मतदान और मतगणना तक की प्रक्रिया सरकारी कर्मचारी करते हैं। राजनीतिक दलों/उम्मीदवार औपचारिक रूप से प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, मतदान केंद्र से लेकर निर्वाचन क्षेत्र स्तर तक।

चुनाव आयोग ने यह कहा-

- *महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान कुल 6,40,87,588 मतदाताओं ने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान किया। औसतन प्रति घंटे लगभग 58 लाख वोट डाले गए। इन औसत रुझानों के अनुसार, अंतिम दो घंटों में लगभग 116 लाख मतदाता वोट डाल सकते थे। अतः दो घंटे में 65 लाख मतदाताओं द्वारा मतदान करना औसत प्रति घंटा मतदान रुझानों की तुलना में काफी कम है।*
- *प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदान, प्रत्याशियों/राजनीतिक दलों द्वारा औपचारिक रूप से नियुक्त मतदान एजेंटों की उपस्थिति में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामित उम्मीदवारों या उनके अधिकृत एजेंटों ने अगले दिन रिटर्निंग ऑफिसर और निर्वाचन पर्यवेक्षकों के समक्ष जांच के समय किसी भी असामान्य मतदान को लेकर कोई ठोस आरोप नहीं लगाए।*
- *भारत सहित महाराष्ट्र में निर्वाचक नामावलियां जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचकों के पंजीकरण नियम, 1960 के अनुसार तैयार की जाती हैं। कानून के अनुसार चुनावों से ठीक पहले और/या वर्ष में एक बार विशेष सारांश संशोधन किया जाता है और नामावली की अंतिम प्रति सभी राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी शामिल है, को सौंपी जाती है।*
- *महाराष्ट्र चुनावों के दौरान नामावलियों के अंतिमकरण के पश्चात 9,77,90,752 मतदाताओं के मुकाबले केवल 89 अपीलें प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (जिला मजिस्ट्रेट) के समक्ष और केवल 1 अपील द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण (मुख्य निर्वाचन अधिकारी) के समक्ष दायर की गई। अतः यह स्पष्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल की ओर से चुनाव से पहले कोई शिकायत नहीं की गई थी।*
- *नामावली पुनरीक्षण के दौरान 1,00,427 मतदान केंद्रों पर, निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारियों द्वारा नियुक्त 97,325 बूथ स्तर अधिकारियों के साथ, सभी राजनीतिक दलों द्वारा कुल 1,03,727 बूथ स्तर एजेंट भी नियुक्त किए गए, जिनमें से 27,099 एजेंट इंकाइ द्वारा नियुक्त किए गए थे। अतः महाराष्ट्र की निर्वाचक नामावली को लेकर लगाए गए बेबुनियाद आरोप कानून के शासन के प्रति अपमान हैं।*

दैनिक
बढ़ता राजस्थान www.badhatarajasthan.in

राहुल के बयान पर चुनाव आयोग का जवाब, कहाः

गलत सूचना फैलाना कानून का अपमान, अपने पार्टी प्रतिनिधियों को भी बदनाम करता है

बढ़ता राजस्थान

नई दिल्ली। अमेरिका दौरे पर 20 अप्रैल को राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव पर सवाल उठाए थे। इस पर चुनाव आयोग ने मंगलवार को बयान जारी किया। आयोग ने कहा– भारत में जिस पैमाने और सटीकता से चुनाव होते हैं, उसकी दुनिया भर में तारीफ होती है। पूरा देश जानता है कि वोटर लिस्ट तैयार करने, वोटिंग और काउंटिंग समेत हर चुनाव प्रक्रिया में सरकारी कर्मचारी शामिल होते हैं। आयोग को बदनाम करने की कोशिश करना पूरी तरह से बेतुकी है। चुनाव आयोग ने कहा– किसी के द्वारा फैलाई जा रही कोई भी गलत सूचना न केवल कानून का अपमान है, बल्कि खुद अपनी पार्टी के हजारों नियुक्त प्रतिनिधियों को भी बदनाम करता है। यह लाखों चुनाव कर्मचारियों के मेहनत को कम करता है, जो चुनाव में अथक और पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे पर कहा था कि यह पूरी तरह साफ है कि भारत का चुनाव आयोग समझौता कर चुका है। सिस्टम में गड़बड़ी है। आयोग बोला– 2 घंटे में 65 लाख वोटिंग औसत से कम राहुल गांधी ने अमेरिका के बॉस्टन में कहा था कि महाराष्ट्र में 5:30 से शाम 7:30 के बीच 65 लाख वोटिंग हुई। एक वोट डालने में करीब 3 मिनट लगते हैं। 2 घंटे में 65 लाख वोटिंग नामुमकिन है। अगर आप गणित लगाएंगे तो पता चलेगा कि रात 2 बजे तक वोटर्स की लाइन लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

दैनिक ईवनिंग
गंगानगर और देश
gangantagaraurdesh@rediffmail.com
RNI No. 46431/87
वर्ष: 37 अंक: 176 बुधवार 23 अप्रैल 2025 पेज: 4
gangangaraurdesh@gmail.com, jasnoor785@gmail.com
ganganagaraurdesh@gmail.com

चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाना लोकतंत्र का अपमान

-निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज -निर्वाचन आयोग ने तथ्यपरक जवाब में कहा: पारदर्शिता और निष्पक्षता से हुई पूरी प्रक्रिया

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) द्वारा लगाए गए आरोपों पर स्पष्ट और तथ्यों पर आधारित जानकारी साझा की है। आयोग ने चुनाव में गड़बड़ी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा है कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप न केवल भ्रामक और निराधार हैं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के शासन के प्रति अपमानजनक है।

आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 6.40 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया। औसतन प्रति घंटे लगभग 58 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अंतिम दो घंटों में लगभग 65 लाख मतदाताओं द्वारा मतदान किया गया, जो सामान्य औसत से भी कम है। ऐसे में, ''अचानक मतदान वृद्धि'' का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है।

मतदान प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर राजनीतिक दलों के अधिकृत एजेंट उपस्थित थे, जिनके समक्ष ही पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। किसी भी पार्टी, यहां तक कि कांग्रेस द्वारा भी रिटर्निंग अधिकारियों अथवा निर्वाचन पर्यवेक्षकों को मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी की कोई ठोस शिकायत नहीं दी गई।

मतदाता सूचियां जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचकों के पंजीकरण नियम, 1960 के अनुसार विधिसम्मत ढंग से तैयार की गईं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के उपरांत इन सूचियों की अंतिम प्रति सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, को समय पर प्रदान की गई थी।

चुनाव से पूर्व अथवा बाद में मतदाता सूचियों को लेकर आपत्तियों की संख्या अत्यंत सीमित रही। 9.77 करोड़ मतदाताओं के बीच केवल 89 अपीलें जिला मजिस्ट्रेट स्तर पर और एक अपील राज्य स्तर पर प्रस्तुत की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नामावली को लेकर किसी दल को चुनाव पूर्व कोई आपत्ति नहीं थी।

चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने हेतु निर्वाचन अधिकारियों द्वारा नियुक्त 97,000 से अधिक बूथ स्तर अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भी 1.03 लाख से अधिक बूथ स्तर एजेंट नियोजित किए गए। इनमें से 27,099 एजेंट स्वयं कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए थे, जो आयोग की पारदर्शिता का प्रमाण हैं।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि 24 दिसम्बर, 2024 को कांग्रेस पार्टी को इस संबंध में विस्तृत उत्तर भेजा गया था, जिसे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी सार्वजनिक किया गया है। इसके बावजूद बार-बार उन्हीं आरोपों को दोहराना लोकतंत्र और संस्थागत गरिमा के विरुद्ध है।

भारत निर्वाचन आयोग ने जोर देकर कहा कि देश में चुनाव प्रक्रिया मतदाता सूचियां तैयार करने से लेकर मतदान और मतगणना तक पूर्ण कानूनी प्रक्रिया और पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष रूप से संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में लाखों सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और स्वतंत्र पर्यवेक्षक शामिल होते हैं।

आयोग ने यह भी कहा है कि चुनाव परिणामों को लेकर यदि किसी पार्टी को जनता की असहमति का सामना करना पड़ता है, तो आयोग को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना न केवल अनुचित है, बल्कि लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास है। ऐसे प्रयास उन लाखों कर्मचारियों की निष्ठा और निष्पक्षता पर भी प्रश्नचिन्ह लगाते हैं, जो पूरे समर्पण के साथ लोकतंत्र को सशक्त बनाने में जुटे हैं।

विराट वैभव
नई दिल्ली, बुधवार, 23 अप्रैल 2025

राहुल के आरोपों पर ईसी ने कहा: भ्रामक सूचना का प्रसार कानून का अनादर

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र चुनाव में असामान्य मतदान से संबंधित राहुल गांधी के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि कोई भी भ्रामक सूचना फैलाना कानून के प्रति अनादर का संकेत है और राजनीतिक कार्यकर्ताओं तथा मतदान कर्मियों के प्रयासों को कमजोर करने वाला है। सूत्रों का कहना है कि मतदाताओं द्वारा किसी भी प्रतिकूल फैसले के बाद, यह कहकर चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश करना पूरी तरह से बेतुका है कि समझौता किया गया है।

जयपुर टाइम्स 23.04.2025

चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाना लोकतंत्र का अपमान, राजनीतिक दलों के आरोप खारिज

नई दिल्ली(एजेंसी.)। । भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में राजनीतिक दलों की ओर से लगाए गए आरोपों पर स्पष्ट और तथ्यों पर आधारित जानकारी साझा की है। आयोग ने चुनाव में गड़बड़ी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों की ओर से लगाए गए आरोप न केवल भ्रामक और निराधार हैं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के शासन के प्रति अपमानजनक हैं। आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 6.40 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया। औसतन प्रति घंटे लगभग 58 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अंतिम दो घंटों में लगभग 65 लाख मतदाताओं की ओर से मतदान किया गया, जो सामान्य औसत से भी कम है।

मतदान केन्द्र का भवन परिवर्तन

जयपुर टाइम्स

चूरू(निस)। जिले के रतनगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्र संख्या 46 का भवन परिवर्तन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा ने बताया कि जिले के रतनगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्र संख्या 46 (प्रेमसुखदास अजीतसरिया अतिथि भवन, रतनगढ़) का निजी भवन में परिवर्तित हो जाने के कारण भवन परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन के बाद अब मतदान केन्द्र संचियालाल बैद राजकीय बालिका सीनियर मा. वि. बायां भाग, रतनगढ़ में निर्धारित किया गया है।

मतदान केन्द्र का भवन परिवर्तन

चूरू/ मोहम्मद अली पठान। जिले के रतनगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्र संख्या 46 का भवन परिवर्तन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा ने बताया कि जिले के रतनगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्र संख्या 46 (प्रेमसुखदास अजीतसरिया अतिथि भवन, रतनगढ़) का निजी भवन में परिवर्तित हो जाने के कारण भवन परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन के बाद अब मतदान केन्द्र संचियालाल बैद राजकीय बालिका सीनियर मा. वि. बायां भाग, रतनगढ़ में निर्धारित किया गया है।

तेज 23.04.2025

चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाना लोकतंत्र का अपमान

» निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) द्वारा लगाए गए आरोपों पर स्पष्ट और तथ्यों पर आधारित जानकारी साझा की है। आयोग ने चुनाव में गड़बड़ी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा है कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप न केवल भ्रामक और निराधार हैं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के शासन के प्रति अपमानजनक हैं। आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 6.40 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया। औसतन प्रति घंटे लगभग 58 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अंतिम दो घंटों में लगभग 65 लाख मतदाताओं द्वारा मतदान किया गया, जो सामान्य औसत से भी कम है। ऐसे में, ''अचानक मतदान वृद्धि'' का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। मतदान प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर राजनीतिक दलों के अधिकृत एजेंट उपस्थित थे, जिनके समक्ष ही पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। किसी भी पार्टी, यहां तक कि कांग्रेस द्वारा भी रिटर्निंग अधिकारियों अथवा निर्वाचन पर्यवेक्षकों को मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी की कोई ठोस शिकायत नहीं दी गई। मतदाता सूचियां जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचकों के पंजीकरण नियम, 1960 के अनुसार विधिसम्मत ढंग से तैयार की गईं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के उपरांत इन सूचियों की अंतिम प्रति सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, को समय पर प्रदान की गई थी। चुनाव से पूर्व अथवा बाद में मतदाता सूचियों को लेकर आपत्तियों की संख्या अत्यंत सीमित रही। 9.77 करोड़ मतदाताओं के बीच केवल 89 अपीलें जिला मजिस्ट्रेट स्तर पर और एक अपील राज्य स्तर पर प्रस्तुत की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नामावली को लेकर किसी दल को चुनाव पूर्व कोई आपत्ति नहीं थी। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने हेतु निर्वाचन अधिकारियों द्वारा नियुक्त 97,000 से अधिक बूथ स्तर अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भी 1.03 लाख से अधिक बूथ स्तर एजेंट नियोजित किए गए। इनमें से 27,099 एजेंट स्वयं कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए थे, जो आयोग की पारदर्शिता का प्रमाण हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि 24 दिसम्बर, 2024 को कांग्रेस पार्टी को इस संबंध में विस्तृत उत्तर भेजा गया था, जिसे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी सार्वजनिक किया गया है। इसके बावजूद बार.बार उन्हीं आरोपों को दोहराना लोकतंत्र और संस्थागत गरिमा के विरुद्ध है। भारत निर्वाचन आयोग ने जोर देकर कहा कि देश में चुनाव प्रक्रिया - मतदाता सूचियां तैयार करने से लेकर मतदान और मतगणना तक - पूर्ण कानूनी प्रक्रिया और पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष रूप से संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में लाखों सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और स्वतंत्र पर्यवेक्षक शामिल होते हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि चुनाव परिणामों को लेकर यदि किसी पार्टी को जनता की असहमति का सामना करना पड़ता है, तो आयोग को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना न केवल अनुचित है, बल्कि लोकतंत्र को कमज़ोर करने का प्रयास है। ऐसे प्रयास उन लाखों कर्मचारियों की निष्ठा और निष्पक्षता पर भी प्रश्नचिन्ह लगाते हैं, जो पूरे समर्पण के साथ लोकतंत्र को सशक्त बनाने में जुटे हैं।

हमारा गगन 23.04.2025

मतदान केन्द्र का भवन परिवर्तन

हमारा गगन

चूरू, । जिले के रतनगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्र संख्या 46 का भवन परिवर्तन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा ने बताया कि जिले के रतनगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्र संख्या 46 (प्रेमसुखदास अजीतसरिया अतिथि भवन, रतनगढ़) का निजी भवन में परिवर्तित हो जाने के कारण भवन परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन के बाद अब मतदान केन्द्र संचियालाल बैद राजकीय बालिका सीनियर मा. वि. बायां भाग, रतनगढ़ में निर्धारित किया गया है।

चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाना लोकतंत्र का अपमान

» निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) द्वारा लगाए गए आरोपों पर स्पष्ट और तथ्यों पर आधारित जानकारी साझा की है। आयोग ने चुनाव में गड़बड़ी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा है कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप न केवल भ्रामक और निराधार हैं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के शासन के प्रति अपमानजनक हैं। आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 6.40 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया। औसतन प्रति घंटे लगभग 58 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अंतिम दो घंटों में लगभग 65 लाख मतदाताओं द्वारा मतदान किया गया, जो सामान्य औसत से भी कम है। ऐसे में, ''अचानक मतदान वृद्धि'' का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। मतदान प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर राजनीतिक दलों के अधिकृत एजेंट उपस्थित थे, जिनके समक्ष ही पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। किसी भी पार्टी, यहां तक कि कांग्रेस द्वारा भी रिटर्निंग अधिकारियों अथवा निर्वाचन पर्यवेक्षकों को मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी की कोई ठोस शिकायत नहीं दी गई। मतदाता सूचियां जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचकों के पंजीकरण नियम, 1960 के अनुसार विधिसम्मत ढंग से तैयार की गईं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के उपरांत इन सूचियों की अंतिम प्रति सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, को समय पर प्रदान की गई थी। चुनाव से पूर्व अथवा बाद में मतदाता सूचियों को लेकर आपत्तियों की संख्या अत्यंत सीमित रही। 9.77 करोड़ मतदाताओं के बीच केवल 89 अपीलें जिला मजिस्ट्रेट स्तर पर और एक अपील राज्य स्तर पर प्रस्तुत की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नामावली को लेकर किसी दल को चुनाव पूर्व कोई आपत्ति नहीं थी। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने हेतु निर्वाचन अधिकारियों द्वारा नियुक्त 97,000 से अधिक बूथ स्तर अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भी 1.03 लाख से अधिक बूथ स्तर एजेंट नियोजित किए गए। इनमें से 27,099 एजेंट स्वयं कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए थे, जो आयोग की पारदर्शिता का प्रमाण हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि 24 दिसम्बर, 2024 को कांग्रेस पार्टी को इस संबंध में विस्तृत उत्तर भेजा गया था, जिसे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी सार्वजनिक किया गया है। इसके बावजूद बार.बार उन्हीं आरोपों को दोहराना लोकतंत्र और संस्थागत गरिमा के विरुद्ध है। भारत निर्वाचन आयोग ने जोर देकर कहा कि देश में चुनाव प्रक्रिया - मतदाता सूचियां तैयार करने से लेकर मतदान और मतगणना तक - पूर्ण कानूनी प्रक्रिया और पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष रूप से संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में लाखों सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और स्वतंत्र पर्यवेक्षक शामिल होते हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि चुनाव परिणामों को लेकर यदि किसी पार्टी को जनता की असहमति का सामना करना पड़ता है, तो आयोग को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना न केवल अनुचित है, बल्कि लोकतंत्र को कमज़ोर करने का प्रयास है। ऐसे प्रयास उन लाखों कर्मचारियों की निष्ठा और निष्पक्षता पर भी प्रश्नचिन्ह लगाते हैं, जो पूरे समर्पण के साथ लोकतंत्र को सशक्त बनाने में जुटे हैं।

RNI No. 46431/87

श्रीगंगानगर

चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाना लोकतंत्र का अपमान

-निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज -निर्वाचन आयोग ने तथ्यपरक जवाब में कहा: पारदर्शिता और निष्पक्षता से हुई पूरी प्रक्रिया

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) द्वारा लगाए गए आरोपों पर स्पष्ट और तथ्यों पर आधारित जानकारी साझा की है। आयोग ने चुनाव में गड़बड़ी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा है कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप न केवल भ्रामक और निराधार हैं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के शासन के प्रति अपमानजनक हैं।

आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 6.40 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया। औसतन प्रति घंटे लगभग 58 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अंतिम दो घंटों में लगभग 65 लाख मतदाताओं द्वारा मतदान किया गया, जो सामान्य औसत से भी कम है। ऐसे में, ''अचानक मतदान वृद्धि'' का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है।

मतदान प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर राजनीतिक दलों के अधिकृत एजेंट उपस्थित थे, जिनके समक्ष ही पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। किसी भी पार्टी, यहां तक कि कांग्रेस द्वारा भी रिटर्निंग अधिकारियों अथवा निर्वाचन पर्यवेक्षकों को मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी की कोई ठोस शिकायत नहीं दी गई।

मतदाता सूचियां जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचकों के पंजीकरण नियम, 1960 के अनुसार विधिसम्मत ढंग से तैयार की गईं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के उपरांत इन सूचियों की अंतिम प्रति सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, को समय पर प्रदान की गई थी।

चुनाव से पूर्व अथवा बाद में मतदाता सूचियों को लेकर आपत्तियों की संख्या अत्यंत सीमित रही। 9.77 करोड़ मतदाताओं के बीच केवल 89 अपीलें जिला मजिस्ट्रेट स्तर पर और एक अपील राज्य स्तर पर प्रस्तुत की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नामावली को लेकर किसी दल को चुनाव पूर्व कोई आपत्ति नहीं थी।

चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने हेतु निर्वाचन अधिकारियों द्वारा नियुक्त 97,000 से अधिक बूथ स्तर अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भी 1.03 लाख से अधिक बूथ स्तर एजेंट नियोजित किए गए। इनमें से 27,099 एजेंट स्वयं कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए थे, जो आयोग की पारदर्शिता का प्रमाण हैं।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि 24 दिसम्बर, 2024 को कांग्रेस पार्टी को इस संबंध में विस्तृत उत्तर भेजा गया था, जिसे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी सार्वजनिक किया गया है। इसके बावजूद बार-बार उन्हीं आरोपों को दोहराना लोकतंत्र और संस्थागत गरिमा के विरुद्ध है।

भारत निर्वाचन आयोग ने जोर देकर कहा कि देश में चुनाव प्रक्रिया मतदाता सूचियां तैयार करने से लेकर मतदान और मतगणना तक पूर्ण कानूनी प्रक्रिया और पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष रूप से संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में लाखों सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और स्वतंत्र पर्यवेक्षक शामिल होते हैं।

आयोग ने यह भी कहा है कि चुनाव परिणामों को लेकर यदि किसी पार्टी को जनता की असहमति का सामना करना पड़ता है, तो आयोग को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना न केवल अनुचित है, बल्कि लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास है। ऐसे प्रयास उन लाखों कर्मचारियों की निष्ठा और निष्पक्षता पर भी प्रश्नचिन्ह लगाते हैं, जो पूरे समर्पण के साथ लोकतंत्र को सशक्त बनाने में जुटे हैं।

चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाना लोकतंत्र का अपमान

नई दिल्ली, 22 अप्रैल। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) द्वारा लगाए गए आरोपों पर स्पष्ट और तथ्यों पर आधारित जानकारी साझा की है। आयोग ने चुनाव में गड़बड़ी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा है कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप न केवल भ्रामक और निराधार हैं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के शासन के प्रति अपमानजनक हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि 24 दिसम्बर, 2024 को कांग्रेस पार्टी को इस संबंध में विस्तृत उत्तर भेजा गया था, जिसे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी सार्वजनिक किया गया है। इसके बावजूद बार.बार उन्हीं आरोपों को दोहराना लोकतंत्र और संस्थागत गरिमा के विरुद्ध है। भारत निर्वाचन आयोग ने जोर देकर कहा कि देश में चुनाव प्रक्रिया - मतदाता सूचियां तैयार करने से लेकर मतदान और मतगणना तक - पूर्ण कानूनी प्रक्रिया और पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष रूप से संपन्न होती है। इस प्रक्रिया **शेष पृष्ठ 2 पर**

दैनिक नवज्योति hadoti - 23 Apr 2025 - Page 8

निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज

न्यूज सर्विस/नवज्योति, बारां।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) द्वारा लगाए गए आरोपों पर स्पष्ट और तथ्यों पर आधारित जानकारी साझा की है। आयोग ने चुनाव में गड़बड़ी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा है कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप न केवल भ्रामक और निराधार हैं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के शासन के प्रति अपमानजनक हैं। आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 6.40 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया। औसतन प्रति घंटे लगभग 58 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अंतिम दो घंटों में लगभग 65 लाख मतदाताओं द्वारा मतदान किया गया, जो सामान्य औसत से भी कम है। ऐसे में अचानक मतदान वृद्धि का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। मतदान प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर राजनीतिक दलों के अधिकृत एजेंट उपस्थित थे, जिनके समक्ष ही पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। किसी भी पार्टी, यहां तक कि कांग्रेस द्वारा भी रिटर्निंग अधिकारियों अथवा निर्वाचन पर्यवेक्षकों को मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी की कोई ठोस शिकायत नहीं दी गई। मतदाता सूचियां जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचकों के पंजीकरण नियम, 1960 के अनुसार विधिसम्मत ढंग से तैयार की गईं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के उपरांत इन सूचियों की अंतिम प्रति सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, को समय पर प्रदान की गई थी। चुनाव से पूर्व अथवा बाद में मतदाता सूचियों को लेकर आपत्तियों की संख्या अत्यंत सीमित रही। 9.77 करोड़ मतदाताओं के बीच केवल 89 अपीलें जिला मजिस्ट्रेट स्तर पर और एक अपील राज्य स्तर पर प्रस्तुत की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नामावली को लेकर किसी दल को चुनाव पूर्व कोई आपत्ति नहीं थी। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निर्वाचन अधिकारियों द्वारा नियुक्त 97,000 से अधिक बूथ स्तर अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भी 1.03 लाख से अधिक बूथ स्तर एजेंट नियोजित किए गए। इनमें से 27,099 एजेंट स्वयं कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए थे, जो आयोग की पारदर्शिता का प्रमाण हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि 24 दिसम्बर 2024 को कांग्रेस पार्टी को इस संबंध में विस्तृत उत्तर भेजा गया था, जिसे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी सार्वजनिक किया गया है। इसके बावजूद बार-बार उन्हीं आरोपों को दोहराना लोकतंत्र और संस्थागत गरिमा के विरुद्ध है। भारत निर्वाचन आयोग ने जोर देकर कहा कि देश में चुनाव प्रक्रिया मतदाता सूचियां तैयार करने से लेकर मतदान और मतगणना तक पूर्ण कानूनी प्रक्रिया और पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष रूप से संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में लाखों सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और स्वतंत्र पर्यवेक्षक शामिल होते हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि चुनाव परिणामों को लेकर यदि किसी पार्टी को जनता की असहमति का सामना करना पड़ता है, तो आयोग को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना न केवल अनुचित है, बल्कि लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास है। ऐसे प्रयास उन लाखों कर्मचारियों की निष्ठा और निष्पक्षता पर भी प्रश्नचिन्ह लगाते हैं, जो पूरे समर्पण के साथ लोकतंत्र को सशक्त बनाने में जुटे हैं।

चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाना लोकतंत्र का अपमान

निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के आरोपों को किया खारिज

आयोग ने तथ्यपरक जवाब में कहा...पारदर्शिता और निष्पक्षता से हुई पूरी प्रक्रिया

नई दिल्ली, 22 अप्रैल (हाड़ौती संचार)।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए आरोपों पर स्पष्ट और तथ्यों पर आधारित जानकारी साझा की है। आयोग ने चुनाव में गड़बड़ी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए आरोप न केवल भ्रामक और निराधार हैं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के शासन के प्रति अपमानजनक हैं। आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 6.40 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया। औसतन प्रति घंटे लगभग 58 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अंतिम दो घंटों में लगभग 65 लाख मतदाताओं द्वारा मतदान किया गया, जो सामान्य औसत से भी कम है। ऐसे में, अचानक मतदान वृद्धि का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। मतदान प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर राजनीतिक दलों के अधिकृत एजेंट उपस्थित थे, जिनके समक्ष ही पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। किसी भी पार्टी, यहां तक कि कांग्रेस द्वारा भी रिटर्निंग अधिकारियों अथवा निर्वाचन पर्यवेक्षकों को मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी की कोई ठोस शिकायत नहीं दी गई। मतदाता सूचियां जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचकों के पंजीकरण नियम, 1960 के अनुसार विधिसम्मत ढंग से तैयार की गईं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के उपरांत इन सूचियों की अंतिम प्रति सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, को समय पर प्रदान की गई थी। चुनाव से पूर्व अथवा बाद में मतदाता सूचियों को लेकर आपत्तियों की संख्या अत्यंत सीमित रही। 9.77 करोड़ मतदाताओं के बीच केवल 89 अपीलें जिला मजिस्ट्रेट स्तर पर और एक अपील राज्य स्तर पर प्रस्तुत की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नामावली को लेकर किसी दल को चुनाव पूर्व कोई आपत्ति नहीं थी। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने हेतु निर्वाचन अधिकारियों द्वारा नियुक्त 97,000 से अधिक बूथ स्तर अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भी 1.03 लाख से अधिक बूथ स्तर एजेंट नियोजित किए गए। इनमें से 27,099 एजेंट एक राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त किए गए थे, जो आयोग की पारदर्शिता का प्रमाण हैं।

आरोपों को दोहराना लोकतंत्र और संस्थागत गरिमा के विरुद्ध-

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि 24 दिसम्बर, 2024 को एक राजनीतिक दल को इस संबंध मे विस्तृत उत्तर भेजा गया था, जिसे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी सार्वजनिक किया गया है। इसके बावजूद बार-बार उन्ही आरोपों को दोहराना लोकतंत्र और संस्थागत गरिमा के विरुद्ध है। भारत निर्वाचन आयोग ने जोर देकर कहा कि देश में चुनाव प्रक्रिया-मतदाता सुचियां तैयार करने से लेकर मतदान और मतगणना तक-पूर्ण कानूनी प्रक्रिया और पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष रूप से संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में लाखों सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और स्वतंत्र पर्यवेक्षक शामिल होते हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि चुनाव परिणामों को लेकर यदि किसी पार्टी को जनता की असहमति का सामना करना पड़ता है, तो आयोग को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना न केवल अनुचित है, बल्कि लोकतंत्र को कमज़ोर करने का प्रयास है। ऐसे प्रयास उन लाखों कर्मचारियों की निष्ठा और निष्पक्षता पर भी प्रश्नचिन्ह लगाते हैं, जो पूरे समर्पण के साथ लोकतंत्र को सशक्त बनाने में जुटे हैं।

महाराष्ट्र चुनाव पर राहुल गांधी के आरोपों का आयोग ने दिया जवाब, कहा-

दो घंटे में 65 लाख क्या, 1.16 करोड़ वोट पड़ सकते हैं

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में मतदान गड़बड़ी के बारे में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आरोप तथ्यहीन, भ्रामक और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने की मंशा से प्रेरित हैं।

मंगलवार को आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुल 6 करोड़ 40 लाख 87 हजार 588 मतदाताओं ने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान केंद्रों पर वोट डाला। औसतन प्रति घंटे लगभग 58 लाख वोट पड़े। इस हिसाब से आखिरी दो घंटों में करीब 1.16 करोड़ मतदाता वोट डाले जा सकते थे। इसलिए, दो घंटों में 65 लाख मतदाताओं की ओर से वोट डालना गड़बड़ी का कोई संकेत नहीं है। औसत प्रति घंटे के मतदान ट्रेंड

से यह बहुत कम है। आयोग ने कहा, मतदान का पूरा आंकड़ा और प्रक्रिया सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा है और किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह आंकड़े सुलभ रहे हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदान प्रक्रिया हर मतदान केंद्र पर उम्मीदवारों या उनके अधिकृत एजेंटों की उपस्थिति में संचालित की जाती है। कांग्रेस पार्टी के खुद के 27,099 एजेंट बूथ स्तर पर तैनात थे और किसी भी एजेंट ने उस समय या उसके बाद कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं करवाई। ब्यूरो

अपने प्रतिनिधियों पर भी सवाल उठा रही हैं पार्टियां... *चुनाव आयोग ने कहा, किसी भी व्यक्ति की ओर से गलत सूचना फैलाना न केवल कानून के प्रति अनादर का संकेत है बल्कि यह उन हजारों प्रतिनिधियों को भी बदनाम करता है जिन्हें खुद राजनीति पार्टियां नियुक्त करती हैं। ऐसे बयान लाखों चुनाव कर्मचारियों का मनोबल तोड़ते हैं, जो चुनाव के दौरान अथक और पारदर्शी रूप से काम करते हैं। मतदाताओं के किसी भी प्रतिकूल फैसले के बाद, यह कहकर कि चुनाव आयोग से समझौता किया गया है, उसे बदनाम करने की कोशिश पूरी तरह से बेतुकी है।*

हर चुनाव कानून के अनुसार...आयोग ने कहा कि भारत में मतदाता सूची को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के अनुसार तैयार किया जाता है। कानून के अनुसार, चुनाव से ठीक पहले या हर साल एक बार वोटिंग लिस्ट में संशोधन किया जाता है। मतदाता सूची की अंतिम कॉपी सभी राष्ट्रीय,राज्य राजनीतिक दलों (जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी शामिल है) को सौंपी जाती है। देश में सभी चुनाव कानून के अनुसार कराए जाते हैं।

क्या कहा था राहुल ने... *राहुल गांधी ने दावा किया कि महाराष्ट्र चुनाव में राज्य में वयस्कों की संख्या से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। उन्होंने कहा, निर्वाचन आयोग ने हमें शाम 5:30 बजे तक के मतदान के आंकड़े दिए और शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच 65 लाख मतदाताओं ने मतदान कर दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि इतने समय में इतने अधिक लोगों का मतदान केंद्र तक पहुंच कर वोट डालना संभव नहीं है।*

महाराष्ट्र चुनाव पर राहुल गांधी के आरोपों पर ईसी ने दिया बयान

चुनाव में असामान्य वोटिंग के आरोपों को चुनाव आयोग ने किया खारिज

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में असामान्य वोटिंग के आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा कि कांग्रेस ने कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की थी और मतदान में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। राहुल गांधी ने अमेरिका के बोस्टन में आरोप लगाया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ज्यादा लोगों ने मतदान किया है, जबकि अडल्ट्स की संख्या कम थी। उन्होंने कहा कि 5:30 बजे मिले आंकड़ों के मुताबिक, 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच 65 लाख लोगों ने वोट डाले थे, जो फिजिकली असंभव है।

राहुल ने वोटिंग के मामले पर लगाए थे आरोप

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि 7 बजे से 6 बजे तक 6.40 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया था। औसतन, प्रति घंटे 58 लाख वोट पड़े। आयोग ने ये भी बताया कि औसत रुझान के हिसाब से अंतिम दो घंटों में लगभग 1.16 करोड़ वोटर वोटिंग कर सकते थे, जिससे यह पुष्टि होती है कि 65 लाख वोटरों द्वारा डाले गए वोट किसी भी औसत रुझान से कम थे।

पोलिंग एजेंट बूथ पर मौजूद थे

चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, प्रत्येक मतदान केंद्र पर उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त पोलिंग एजेंट मौजूद थे और कांग्रेस के उम्मीदवारों या उनके अधिकृत एजेंटों ने किसी भी असामान्य मतदान के संबंध में कोई ईमानदार आरोप नहीं लगाए थे।

आयोग ने दिया स्पष्टीकरण!

मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने महाराष्ट्र चुनाव के 9.72 करोड़ मतदाताओं में से सिर्फ 89 अपीलें पहली अपीलेट अथॉरिटी के सामने की गईं, और दूसरी अपीलेट अथॉरिटी के सामने सिर्फ एक शिकायत दर्ज की गई। वोटर लिस्ट के इंस्पेक्शन के दौरान एक लाख से अधिक मतदान केन्द्रों के लिए इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर द्वारा नियुक्त 97,325 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ-साथ सभी राजनीतिक दलों द्वारा 1,03,727 (1.03 लाख) बूथ स्तर के एजेंट भी नियुक्त किए गए थे।

चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाना लोकतंत्र का अपमान

निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज

निर्वाचन आयोग ने तथ्यपरक जवाब में कहा - पारदर्शिता और निष्पक्षता से हुई पूरी प्रक्रिया

रानीवाड़ा से प्रवीण राठौड की रिपोर्ट।

नई दिल्ली । भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) द्वारा लगाए गए आरोपों पर स्पष्ट और तथ्यों पर आधारित जानकारी साझा की है। आयोग ने चुनाव में गड़बड़ी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा है कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप न केवल भ्रामक और निराधार हैं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के शासन के प्रति अपमानजनक हैं।

आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 6.40 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया। औसतन प्रति घंटे लगभग 58 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अंतिम दो घंटों में लगभग 65 लाख मतदाताओं द्वारा मतदान किया गया, जो सामान्य औसत से भी कम है। ऐसे में, 'अचानक मतदान वृद्धि' का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है।

मतदान प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर राजनीतिक दलों के अधिकृत एजेंट उपस्थित थे, जिनके समक्ष ही पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। किसी भी पार्टी, यहां तक कि कांग्रेस द्वारा भी रिटर्निंग अधिकारियों अथवा निर्वाचन पर्यवेक्षकों को मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी की कोई ठोस शिकायत नहीं दी गई।

मतदाता सूचियां जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचकों के पंजीकरण नियम, 1960 के अनुसार विधिसम्मत ढंग से तैयार की गईं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के उपरांत इन सूचियों की अंतिम प्रति सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, को समय पर प्रदान की गई थी।

चुनाव से पूर्व अथवा बाद में मतदाता सूचियों को लेकर आपत्तियों की संख्या अत्यंत सीमित रही। 9.77 करोड़ मतदाताओं के बीच केवल 89 अपीलें जिला मजिस्ट्रेट स्तर पर और एक अपील राज्य स्तर पर प्रस्तुत की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नामावली को लेकर किसी दल को चुनाव पूर्व कोई आपत्ति नहीं थी।

चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने हेतु निर्वाचन अधिकारियों द्वारा नियुक्त 97,000 से अधिक बूथ स्तर अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भी 1.03 लाख से अधिक बूथ स्तर एजेंट नियोजित किए गए। इनमें से 27,099 एजेंट स्वयं कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए थे, जो आयोग की पारदर्शिता का प्रमाण हैं।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि 24 दिसम्बर, 2024 को कांग्रेस पार्टी को इस संबंध में विस्तृत उत्तर भेजा गया था, जिसे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी सार्वजनिक किया गया है। इसके बावजूद बार-बार उन्हीं आरोपों को दोहराना लोकतंत्र और संस्थागत गरिमा के विरुद्ध है।

भारत निर्वाचन आयोग ने जोर देकर कहा कि देश में चुनाव प्रक्रिया - मतदाता सूचियां तैयार करने से लेकर मतदान और मतगणना तक - पूर्ण कानूनी प्रक्रिया और पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष रूप से संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में लाखों सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और स्वतंत्र पर्यवेक्षक शामिल होते हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि चुनाव परिणामों को लेकर यदि किसी पार्टी को जनता की असहमति का सामना करना पड़ता है, तो आयोग को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना न केवल अनुचित है, बल्कि लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास है। ऐसे प्रयास उन लाखों कर्मचारियों की निष्ठा और निष्पक्षता पर भी प्रश्नचिन्ह लगाते हैं, जो पूरे समर्पण के साथ लोकतंत्र को सशक्त बनाने में जुटे हैं।

चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाना लोकतंत्र का अपमान

निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज

निर्वाचन आयोग ने तथ्यपरक जवाब में कहा - पारदर्शिता और निष्पक्षता से हुई पूरी प्रक्रिया

भौपू की आवाज

नई दिल्ली । भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) द्वारा लगाए गए आरोपों पर स्पष्ट और तथ्यों पर आधारित जानकारी साझा की है। आयोग ने चुनाव में गड़बड़ी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा है कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप न केवल भ्रामक और निराधार हैं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के शासन के प्रति अपमानजनक हैं। आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 6.40 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया। औसतन प्रति घंटे लगभग 58 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अंतिम दो घंटों में लगभग 65 लाख मतदाताओं द्वारा मतदान किया गया, जो सामान्य औसत से भी कम है। ऐसे में, 'अचानक मतदान वृद्धि' का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है।

मतदान प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर राजनीतिक दलों के अधिकृत एजेंट उपस्थित थे, जिनके समक्ष ही पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। किसी भी पार्टी, यहां तक कि कांग्रेस द्वारा भी रिटर्निंग अधिकारियों अथवा निर्वाचन पर्यवेक्षकों को मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी की कोई ठोस शिकायत नहीं दी गई।

मतदाता सूचियां जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचकों के पंजीकरण नियम, 1960 के अनुसार विधिसम्मत ढंग से तैयार की गईं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के उपरांत इन सूचियों की अंतिम प्रति सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, को समय पर प्रदान की गई थी।

चुनाव से पूर्व अथवा बाद में मतदाता सूचियों को लेकर आपत्तियों की संख्या अत्यंत सीमित रही। 9.77 करोड़ मतदाताओं के बीच केवल 89 अपीलें जिला मजिस्ट्रेट स्तर पर और एक अपील राज्य स्तर पर प्रस्तुत की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नामावली को लेकर किसी दल को चुनाव पूर्व कोई आपत्ति नहीं थी। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने हेतु निर्वाचन अधिकारियों द्वारा नियुक्त 97,000 से अधिक बूथ स्तर अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भी 1.03 लाख से अधिक बूथ स्तर एजेंट नियोजित किए गए। इनमें से 27,099 एजेंट स्वयं कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए थे, जो आयोग की पारदर्शिता का प्रमाण हैं।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि 24 दिसम्बर, 2024 को कांग्रेस पार्टी को इस संबंध में विस्तृत उत्तर भेजा गया था, जिसे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी सार्वजनिक किया गया है। इसके बावजूद बार-बार उन्हीं आरोपों को दोहराना लोकतंत्र और संस्थागत गरिमा के विरुद्ध है।

भारत निर्वाचन आयोग ने जोर देकर कहा कि देश में चुनाव प्रक्रिया - मतदाता सूचियां तैयार करने से लेकर मतदान और मतगणना तक - पूर्ण कानूनी प्रक्रिया और पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष रूप से संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में लाखों सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और स्वतंत्र पर्यवेक्षक शामिल होते हैं।

आयोग ने यह भी कहा है कि चुनाव परिणामों को लेकर यदि किसी पार्टी को जनता की असहमति का सामना करना पड़ता है, तो आयोग को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना न केवल अनुचित है, बल्कि लोकतंत्र को कमज़ोर करने का प्रयास है। ऐसे प्रयास उन लाखों कर्मचारियों की निष्ठा और निष्पक्षता पर भी प्रश्नचिन्ह लगाते हैं, जो पूरे समर्पण के साथ लोकतंत्र को सशक्त बनाने में जुटे हैं।

वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त का दो दिवसीय जयपुर दौरा

ईवीएम वेयरहाउस की व्यवस्था पर संतोष जताया, सीईओ ने सभी जिलों में ईवीएम गोदामों में व्यवस्था पर रिपोर्ट मांगी

■ निर्भीक राजस्थान

जयपुर/करौली, 22 अप्रैल। राजस्थान के सभी जिलों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के रख रखाव और सुरक्षा व्यवस्था के सभी मापदंडों की कड़ाई से पालना करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग द्वारा जयपुर में ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया गया। उन्होंने वेयरहाउस में वोटिंग मशीनों की बेहतरीन सुरक्षा और रखरखाव व्यवस्था पर संतोष जाहिर किया। इसके उपरांत राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) को ईवीएम वेयरहाउस पर सुरक्षा मानकों की पालना पर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। श्री महाजन के निर्देशानुसार, सभी डीईओ आयोग के सुरक्षा मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित होने की पालना रिपोर्ट 30 अप्रैल तक प्रस्तुत करेंगे। जयपुर ईवीएम वेयरहाउस के निरीक्षण के दौरान श्री गर्ग ने बताया कि आयोग के मानकों के अनुसार ईवीएम गोदामों में निम्न व्यवस्था होना आवश्यक है। निरीक्षण के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति आवश्यक रूप से सुनिश्चित हो। जिला निर्वाचन अधिकारी मासिक और त्रैमासिक आधार पर स्वयं निरीक्षण करें। वेयरहाउस के गेट पर ताले और सील की निरीक्षण के दौरान जांच की जाए। सीसीटीवी कैमरों का संचालन दुरुस्त किया जाए और फुटेज का लिंक पुलिस गार्ड रूम में उपलब्ध कराया जाए। सभी अग्निशमन यंत्रों की जांच की जाए और उनके रखरखाव की अंतिम तिथि के अनुरूप समय पर जांच होना सुनिश्चित किया जाए। ईवीएम वेयर हाउस में साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त की जाए। सीईओ महाजन ने निर्देश दिए हैं कि सभी डीईओ स्वयं ईवीएम गोदामों का निरीक्षण कर 30 अप्रैल तक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाना लोकतंत्र का अपमान, निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज

निर्वाचन आयोग ने तथ्यपरक जवाब में कहा-पारदर्शिता और निष्पक्षता से हुई पूरी प्रक्रिया

खबरों की दुनिया

टोंक। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) द्वारा लगाए गए आरोपों पर स्पष्ट और तथ्यों पर आधारित जानकारी साझा की है। आयोग ने चुनाव में गड़बड़ी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा है कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप न केवल भ्रामक और निराधार हैं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के शासन के प्रति अपमानजनक है।

आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 6.40 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया। औसतन प्रति घंटे लगभग 58 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अंतिम दो घंटों में लगभग 65 लाख मतदाताओं द्वारा मतदान किया गया, जो सामान्य औसत से भी कम है। ऐसे में, श्अचानक मतदान वृद्धिश् का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। मतदान प्रक्रिया

के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर राजनीतिक दलों के अधिकृत एजेंट उपस्थित थे, जिनके समक्ष ही पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। किसी भी पार्टी, यहां तक कि कांग्रेस द्वारा भी रिटर्निंग अधिकारियों अथवा निर्वाचन पर्यवेक्षकों को मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी की कोई ठोस शिकायत नहीं दी गई।

मतदाता सूचियां जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचकों के पंजीकरण नियम, 1960 के अनुसार विधिसम्मत ढंग से तैयार की गई। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के उपरांत इन सूचियों की अंतिम प्रति सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, को समय पर प्रदान की गई थी। चुनाव से पूर्व अथवा बाद में मतदाता सूचियों को लेकर आपत्तियों की संख्या अत्यंत सीमित रही। 9.77 करोड़ मतदाताओं के बीच केवल 89 अपीलें जिला मजिस्ट्रेट स्तर पर और एक अपील राज्य स्तर पर प्रस्तुत की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नामावली को लेकर किसी दल को चुनाव पूर्व कोई आपत्ति नहीं थी। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने हेतु निर्वाचन अधिकारियों द्वारा नियुक्त 97,000 से अधिक बूथ स्तर अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भी 1.03 लाख से अधिक बूथ स्तर एजेंट नियोजित किए गए। इनमें से 27,099 एजेंट स्वयं कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए थे, जो आयोग की पारदर्शिता का प्रमाण है।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि 24 दिसम्बर, 2024 को कांग्रेस पार्टी को इस संबंध में विस्तृत उत्तर भेजा गया था, जिसे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी सार्वजनिक किया गया है। इसके बावजूद बार-बार उन्हीं आरोपों को दोहराना लोकतंत्र और संस्थागत गरिमा के विरुद्ध है।

भारत निर्वाचन आयोग ने जोर देकर कहा कि देश में चुनाव प्रक्रिया द्द मतदाता सूचियां तैयार करने से लेकर मतदान और मतगणना तक द्द पूर्ण कानूनी प्रक्रिया और पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष रूप से संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में लाखों सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और स्वतंत्र पर्यवेक्षक शामिल होते है। आयोग ने यह भी कहा है कि चुनाव परिणामों को लेकर यदि किसी पार्टी को जनता की असहमति का सामना करना पड़ता है, तो आयोग को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना न केवल अनुचित है, बल्कि लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास है। ऐसे प्रयास उन लाखों कर्मचारियों की निष्ठा और निष्पक्षता पर भी प्रश्नचिन्ह लगाते हैं, जो पूरे समर्पण के साथ लोकतंत्र को सशक्त बनाने में जुटे हैं।

चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाना लोकतंत्र का अपमान
निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज

निर्वाचन आयोग ने तथ्यपरक जवाब में कहा-पारदर्शिता एवं निष्पक्षता से हुई पूरी प्रक्रिया

टोंक (ताज भारती)। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) द्वारा लगाए गए आरोपों पर स्पष्ट और तथ्यों पर आधारित जानकारी साझा की है। आयोग ने चुनाव में गड़बड़ी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा है कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप न केवल भ्रामक और निराधार हैं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के शासन के प्रति अपमानजनक हैं। आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 6.40 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया। औसतन प्रति घंटे लगभग 58 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अंतिम दो घंटों में लगभग 65 लाख मतदाताओं द्वारा मतदान किया गयाए जो सामान्य औसत से भी कम है। ऐसे में ''अचानक मतदान वृद्धि'' का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। मतदान प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर राजनीतिक दलों के अधिकृत एजेंट उपस्थित थेए जिनके समक्ष ही पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। किसी भी पार्टी, यहां तक कि कांग्रेस द्वारा भी रिटर्निंग अधिकारियों अथवा निर्वाचन पर्यवेक्षकों को मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी की कोई ठोस शिकायत नहीं दी गई। मतदाता सूचियां जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और निर्वाचकों के पंजीकरण नियम 1960 के अनुसार विधिसम्मत ढंग से तैयार की गईं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के उपरांत इन सूचियों की अंतिम प्रति सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, को समय पर प्रदान की गई थी। चुनाव से पूर्व अथवा बाद में मतदाता सूचियों को लेकर आपत्तियों की संख्या अत्यंत सीमित रही। 9.77 करोड़ मतदाताओं के बीच केवल 89 अपीलें जिला मजिस्ट्रेट स्तर पर और एक अपील राज्य स्तर पर प्रस्तुत की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नामावली को लेकर किसी दल को चुनाव पूर्व कोई आपत्ति नहीं थी। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने हेतु निर्वाचन अधिकारियों द्वारा नियुक्त 97 हजार से अधिक बूथ स्तर अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भी 1.03 लाख से अधिक बूथ स्तर एजेंट नियोजित किए गए। इनमें से 27 हजार 99 एजेंट स्वयं कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए थे, जो आयोग की पारदर्शिता का प्रमाण है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि 24 दिसम्बर 2024 को कांग्रेस पार्टी को इस संबंध में विस्तृत उत्तर भेजा गया था, जिसे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी सार्वजनिक किया गया है। इसके बावजूद बार-बार उन्हीं आरोपों को दोहराना लोकतंत्र और संस्थागत गरिमा के विरुद्ध है। भारत निर्वाचन आयोग ने जोर देकर कहा कि देश में चुनाव प्रक्रिया- मतदाता सूचियां तैयार करने से लेकर मतदान और मतगणना तक-पूर्ण कानूनी प्रक्रिया और पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष रूप से संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में लाखों सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और स्वतंत्र पर्यवेक्षक शामिल होते हैं।

आयोग ने यह भी कहा है कि चुनाव परिणामों को लेकर यदि किसी पार्टी को जनता की असहमति का सामना करना पड़ता है, तो आयोग को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना न केवल अनुचित है, बल्कि लोकतंत्र को कमज़ोर करने का प्रयास है। ऐसे प्रयास उन लाखों कर्मचारियों की निष्ठा और निष्पक्षता पर भी प्रश्नचिन्ह लगाते हैं, जो पूरे समर्पण के साथ लोकतंत्र को सशक्त बनाने में जुटे हैं।

राहुल के बयान पर चुनाव आयोग का जवाबः कहा- गलत सूचना फैलाना कानून का अपमान, अपने पार्टी प्रतिनिधियों को भी बदनाम करता है

नई दिल्ली

अमेरिका दौरे पर 20 अप्रैल को राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव पर सवाल उठाए थे। इस पर चुनाव आयोग ने मंगलवार को बयान जारी किया। आयोग ने कहा कि भारत में जिस पैमाने और सटीकता से चुनाव होते हैं, उसकी दुनिया भर में तारीफ होती है। पूरा देश जानता है कि वोटर लिस्ट तैयार करने, वोटिंग और काउंटिंग समेत हर चुनाव प्रक्रिया में सरकारी कर्मचारी शामिल होते हैं। आयोग को बदनाम करने की कोशिश करना पूरी तरह से बेतुकी है। चुनाव आयोग ने कहा कि किसी के द्वारा फैलाई जा रही कोई भी गलत सूचना न केवल कानून का अपमान है, बल्कि खुद अपनी पार्टी के हजारों नियुक्त प्रतिनिधियों को भी बदनाम करता है। यह लाखों चुनाव कर्मचारियों के मेहनत को कम करता है, जो चुनाव में अथक और पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे पर कहा था कि यह पूरी तरह साफ है कि भारत का चुनाव आयोग समझौता कर चुका है। सिस्टम में गड़बड़ी है।

आयोग बोला- 2 घंटे में 65 लाख वोटिंग औसत से कम

राहुल गांधी ने अमेरिका के बॉस्टन में कहा था कि महाराष्ट्र में 5.30 से शाम 7.30 के बीच 65 लाख वोटिंग हुई। एक वोट डालने में करीब 3 मिनट लगते हैं। 2 घंटे में 65 लाख वोटिंग नामुमकिन है। अगर आप गणित लगाएंगे तो पता चलेगा कि रात 2 बजे तक वोटर्स की लाइन लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान केंद्र पर पहुंचे 6 करोड़ 40 लाख 87 हजार 588 वोटरों ने वोट किया। हर घंटे करीब 58 लाख वोट डाले गए। इनके हिसाब से हर दो घंटे में करीब 116 लाख मतदाताओं ने वोट किया होगा। इस लिहाज से

दो घंटे में 65 लाख वोट पड़ना औसत से बहुत कम है। राहुल ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र में जितने बालिग (18 साल से ज्यादा, वोट डालने के योग्य) हैं, उससे ज्यादा वोट पड़े हैं। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि कानून के अनुसार वोटर लिस्ट चुनाव से ठीक पहले या साल में एक बार संशोधित होती है। वोटर लिस्ट की फाइनल कॉपी कांग्रेस समेत सभी पार्टियों को दी जाती है।

वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त का दो दिवसीय जयपुर दौरा, ईवीएम वेयरहाउस की व्यवस्था पर संतोष जताया

समर सहारा
प्रेम सैनी/सीकर

राजस्थान के सभी जिलों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के रख रखाव और सुरक्षा व्यवस्था के सभी मापदंडों की कड़ाई से पालना करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग द्वारा जयपुर में ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया गया। उन्होंने वेयरहाउस में वोटिंग मशीनों की बेहतरीन सुरक्षा और रखरखाव व्यवस्था पर संतोष जाहिर किया। इसके उपरांत राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) को ईवीएम वेयरहाउस पर सुरक्षा मानकों की पालना पर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। महाजन के निदेर्शानुसार, सभी डीईओ आयोग के सुरक्षा मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित होने की पालना रिपोर्ट 30 अप्रैल तक प्रस्तुत करेंगे। जयपुर ईवीएम वेयरहाउस के निरीक्षण के दौरान गर्ग ने बताया कि आयोग के मानकों के अनुसार ईवीएम गोदामों में निम्न व्यवस्था होना आवश्यक है। निरीक्षण के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपस्थिति आवश्यक रूप से सुनिश्चित हो। जिला निर्वाचन अधिकारी मासिक और त्रिमासिक आधार पर स्वयं निरीक्षण करें। वेयरहाउस के गेट पर ताले और सील की निरीक्षण के दौरान जांच की जाए। सीसीटीवी कैमरों का संचालन दुरुस्त किया जाए और फुटेज का लिंक पुलिस गार्डरूम में उपलब्ध कराया जाए, सभी अग्निशमन यंत्रों की जांच की जाए और उनके रखरखाव की अंतिम तिथि के अनुरूप समय पर जांच होना सुनिश्चित किया जाए। ईवीएम वेयरहाउस में साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त की जाए। सीईओ श्री महाजन ने निर्देश दिए हैं कि सभी डीईओ स्वयं ईवीएम गोदामों का निरीक्षण कर 30 अप्रैल तक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

में हनी निम्बावत उर्फ डेनेश व अंश गहलोत दोनों पूर्व में गिरफ्तार होकर वर्तमान में जेल में बंद है। आरोपी रोहित निम्बावत उर्फ आरडीएक्स को यह हथियार हनी निम्बावत उर्फ डेनेश व अंश गहलोत ने दिया था। आरोपी रोहित निम्बावत उर्फ आरडीएक्स अपने साथियों के जेल चले जाने के बाद विरेन्द्र निम्बावत को मारने की नीयत से हथियार लेकर घूम रहा था।

के कारण सुखेर, हिरणमगरी व गोवर्धनविलास थाने की टीमें आरोप की सरगर्मी से तलाश कर रही थी, जिस कारण आरोपी इधर-उधर फरारी काट रहा था। आरोपी रोहित निम्बावत उर्फ आरडीएक्स यह अवैध हथियार बेचने की फिराक में जोगी तालाब क्षेत्र में घूम रहा था, जिसको पुलिस टीम ने पकड़ लिया था।

दौरान हथौड़ी व तार, मिर्च पाउडर कहां से खरीदा गया और घटना के बारे में विस्तार से जांच-पड़ताल की जाएगी। इन्होंने ऑनलाईन गेम के लिए मृतक से पांच-पांच लाख रुपये उधार लिये थे। ब्याज व राशि हड़पने के लिए उन्होंने यह हत्या का षड्यंत्र रचा था।

अभियान के तहत मार्च माह में राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत 893 केस दर्ज करते हुए 685 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाना लोकतंत्र का अपमान

निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज

निर्वाचन आयोग ने तथ्यपरक जवाब में कहा, पारदर्शिता और निष्पक्षता से हुई पूरी प्रक्रिया

नई दिल्ली/उदयपुर (कासं)। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) द्वारा लगाए गए आरोपों पर स्पष्ट और तथ्यों पर आधारित जानकारी साझा की है। आयोग ने चुनाव में गड़बड़ी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा है कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप न केवल भ्रामक और निराधार हैं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के शासन के प्रति अपमानजनक है।

आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 6.40 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया। औसतन प्रति घंटे लगभग 58 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अंतिम दो घंटों में लगभग 65 लाख मतदाताओं द्वारा मतदान किया गया, जो सामान्य औसत से भी कम है। ऐसे में, अचानक मतदान वृद्धि का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है।

मतदान प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर राजनीतिक दलों के अधिकृत एजेंट उपस्थित थे, जिनके समक्ष ही पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। किसी भी पार्टी, यहां तक कि कांग्रेस द्वारा भी रिटर्निंग अधिकारियों अथवा निर्वाचन पर्यवेक्षकों को मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी की कोई ठोस शिकायत नहीं दी गई।

मतदाता सूचियां जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचकों के पंजीकरण नियम, 1960 के अनुसार विधिसम्मत ढंग से तैयार की गई। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के उपरांत इन सूचियों की अंतिम प्रति सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, को समय पर प्रदान की गई थी।

चुनाव से पूर्व अथवा बाद में मतदाता सूचियों को लेकर आपत्तियों की संख्या अत्यंत सीमित रही। 9.77 करोड़ मतदाताओं के बीच केवल 89 अपीलें जिला मजिस्ट्रेट स्तर पर और एक अपील राज्य स्तर पर प्रस्तुत की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नामावली को लेकर किसी दल को चुनाव पूर्व कोई आपत्ति नहीं थी।

चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने हेतु निर्वाचन अधिकारियों द्वारा नियुक्त 97,000 से अधिक बूथ स्तर अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भी 1.03 लाख से अधिक बूथ स्तर एजेंट नियोजित किए गए। इनमें से 27,099 एजेंट स्वयं कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए थे, जो आयोग की पारदर्शिता का प्रमाण है।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि 24 दिसम्बर, 2024 को कांग्रेस पार्टी को इस संबंध में विस्तृत उत्तर भेजा गया था, जिसे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी सार्वजनिक किया गया है। इसके बावजूद बार-बार उन्हीं आरोपों को दोहराना लोकतंत्र और संस्थागत गरिमा के विरुद्ध है।

भारत निर्वाचन आयोग ने जोर देकर कहा कि देश में चुनाव प्रक्रिया दृ मतदाता सूचियां तैयार करने से लेकर मतदान और मतगणना तक दृ पूर्ण कानूनी प्रक्रिया और पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष रूप से संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में लाखों सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और स्वतंत्र पर्यवेक्षक शामिल होते हैं।

आयोग ने यह भी कहा है कि चुनाव परिणामों को लेकर यदि किसी पार्टी को जनता की असहमति का सामना करना पड़ता है, तो आयोग को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना न केवल अनुचित है, बल्कि लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास है। ऐसे प्रयास उन लाखों कर्मचारियों की निष्ठा और निष्पक्षता पर भी प्रश्नचिन्ह लगाते हैं, जो पूरे समर्पण के साथ लोकतंत्र को सशक्त बनाने में जुटे हैं।

padmawat news

चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाना लोकतंत्र का अपमान

निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज

● पदमावत मीडिया

नई दिल्ली/उदयपुर। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) द्वारा लगाए गए आरोपों पर स्पष्ट और तथ्यों पर आधारित जानकारी साझा की है। आयोग ने चुनाव में गड़बड़ी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. आयोग ने कहा है कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप न केवल भ्रामक और निराधार है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के शासन के प्रति अपमानजनक है। आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 6.40 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया। औसतन प्रति घंटे लगभग 58 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अंतिम दो घंटों में लगभग 65 लाख मतदाताओं द्वारा मतदान किया गया, जो सामान्य औसत से भी कम है। ऐसे में, अचानक मतदान वृद्धि का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। मतदान प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर राजनीतिक दलों के अधिकृत एजेंट उपस्थित थे, जिनके समक्ष ही पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। किसी भी पार्टी, यहां तक कि कांग्रेस द्वारा भी रिटर्निंग अधिकारियों अथवा निर्वाचन पर्यवेक्षकों को मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी की कोई ठोस शिकायत नहीं दी गई। मतदाता सूचियां जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचकों के पंजीकरण नियम, 1960 के अनुसार विधिसम्मत ढंग से तैयार की गईं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के उपरांत इन सूचियों की अंतिम प्रति सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, को समय पर प्रदान की गई थी। चुनाव से पूर्व अथवा बाद में मतदाता सूचियों को लेकर आपत्तियों की संख्या अत्यंत सीमित रही। 9.77 करोड़ मतदाताओं के बीच केवल 89 अपीलें जिला मजिस्ट्रेट स्तर पर और एक अपील राज्य स्तर पर प्रस्तुत की गई।

ECI objects to Rahul's swipe on poll body in US

[illegible]

चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाना लोकतंत्र का अपमान

निर्वाचन आयोग ने एक राजनैतिक दल के आरोपों को किया खारिज

निर्वाचन आयोग ने तथ्यपरक जवाब में कहा झ पारदर्शिता और निष्पक्षता से हुई पूरी प्रक्रिया

सीकर (वतन केसरी ईश्वर आसट) 22 अप्रैल। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में एक राजनैतिक दल द्वारा लगाए गए आरोपों पर स्पष्ट और तथ्यों पर आधारित जानकारी साझा की है। आयोग ने चुनाव में गड़बड़ी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा है कि एक राजनैतिक दल द्वारा लगाए गए आरोप न केवल भ्रामक और निराधार हैं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के शासन के प्रति अपमानजनक हैं। आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 6.40 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया। औसतन प्रति घंटे लगभग 58 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अंतिम दो घंटों में लगभग 65 लाख मतदाताओं द्वारा मतदान किया गया, जो सामान्य औसत से भी कम है। ऐसे में, 'अचानक मतदान वृद्धि' का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। मतदान प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर राजनीतिक दलों के अधिकृत एजेंट उपस्थित थे, जिनके समक्ष ही पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। किसी भी पार्टी, यहां तक कि एक राजनैतिक दल द्वारा भी रिटर्निंग अधिकारियों अथवा निर्वाचन पर्यवेक्षकों को मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी की कोई ठोस शिकायत नहीं दी गई। मतदाता सूचियां जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचकों के पंजीकरण नियम, 1960 के अनुसार विधिसम्मत ढंग से तैयार की गईं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के उपरांत इन सूचियों की अंतिम प्रति सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों, जिनमें एक राजनैतिक दल भी शामिल है, को समय पर प्रदान की गई थी। चुनाव से पूर्व अथवा बाद में मतदाता सूचियों को लेकर आपत्तियों की संख्या अत्यंत सीमित रही। 9.77 करोड़ मतदाताओं के बीच केवल 89 अपीलें जिला मजिस्ट्रेट स्तर पर और एक अपील राज्य स्तर पर प्रस्तुत की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नामावली को लेकर किसी दल को चुनाव पूर्व कोई आपत्ति नहीं थी। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निर्वाचन अधिकारियों द्वारा नियुक्त 97,000 से अधिक बूथ स्तर अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भी 1.03 लाख से अधिक बूथ स्तर एजेंट नियोजित किए गए। इनमें से 27,099 एजेंट स्वयं एक राजनैतिक दल द्वारा नियुक्त किए गए थे, जो आयोग की पारदर्शिता का प्रमाण हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि 24 दिसम्बर, 2024 को एक राजनैतिक दल को इस संबंध में विस्तृत उत्तर भेजा गया था, जिसे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी सार्वजनिक किया गया है। इसके बावजूद बार-बार उन्हीं आरोपों को दोहराना लोकतंत्र और संस्थागत गरिमा के विरुद्ध है। भारत निर्वाचन आयोग ने जोर देकर कहा कि देश में चुनाव प्रक्रिया झ मतदाता सूचियां तैयार करने से लेकर मतदान और मतगणना तक झ पूर्ण कानूनी प्रक्रिया और पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष रूप से संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में लाखों सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और स्वतंत्र पर्यवेक्षक शामिल होते हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि चुनाव परिणामों को लेकर यदि किसी पार्टी को जनता की असहमति का सामना करना पड़ता ह